

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-9  
संख्या-1200/दो-9-2018-8(31)/2003  
लखनऊ, दिनांक २५ मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 एवं (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्रीमती नीरू शर्मा, समीक्षा अधिकारी कार्मिक विभाग को उनके स्वयं की दिनांक 16.11.2017 से 23.11.2017 तक डा0 सरोजिनी ए0 परमेश्वरन, अपोलो हास्पिटल, चेन्नई से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रु0-18,799/- (रूपये अटठारह हजार सात सौ निनयान्चे मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्रीमती नीरू शर्मा, समीक्षा अधिकारी कार्मिक विभाग का वेतन आहरित किया जाता है।


अनिता श्रीवास्तव  
विशेष सचिव

संख्या-1200(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
  - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
  - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
  - 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
  - 6- श्रीमती नीरू शर्मा, समीक्षा अधिकारी कार्मिक अनुभाग-4 उ0प्र0शासन।
  - 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

  
(विश्वनाथ दुबे)  
अनु सचिव